1	2	3	4
जब्त किए गए गोला-बारूद/शस्त्रों की संख्या			
शस्त्र	ए.के. फैमिली राईफल-5 अन्य राईफल-1 बन्दूकें-4 रिवाल्वर/पिस्तौल-8	ए.के. फैमिली राईफल-25 अन्य राईफल-1 एम.एम.जी-1 बन्दूक-2 रिवाल्वर/पिस्तौल-22 राकिट-2 लान्चर	ए.के. फैमिली राईफल-41 जी. पी. एम. जी.-2 एल.एम.जी-1 रिवाल्वर/पिस्तौल-31
गोला बारूद (असार्टेड)	3579 (राउण्ड्स)	11834 (राउण्ड्स)	7916 (राउण्ड्स)
	1989	1990	1991 (30 जून तक)
विस्फोटक			
डैटोनेटर्स - 10 संख्या विस्फोटक - 16 कि. ग्रा. हथगोले - 08 संख्या	विस्फोटक - 67 कि. डैटोनेटर्स - 80 सं. सुरंग ए/टी - 03 सं. हथगोले - 08 संख्या बम/खोल - 44 संख्या राकेट - 12 संख्या	विस्फोटक - 81 कि. डैटोनेटर्स - 184 सं. हथगोले - 24 संख्या	

टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन

287. डा. अबरार अहमद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों की घोषणा के पश्चात् किन-किन शहरों में टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया गया और क्या निर्वाचन आयोग ने उन्हें निरस्त करने का आदेश दिया था, यदि हां, तो उन्हें निरस्त न किये जाने के क्या कारण है;

(ख) उपर्युक्त टेलीफोन सलाहकार समितियों को कब तक निरस्त करके नई समितियों का गठन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त समितियों में संसद सदस्य और विधायक भी शामिल थे, यदि नहीं, तो उनके बिना उनकी घोषणा क्यों की गई तथा इसके लिए कौन दोषी है; और

(घ) वर्तमान में देश में तथा राजस्थान में किन-किन शहरों में टेलीफोन सलाहकार समितियां नहीं है तथा इनका गठन कब तक हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैय्या नायडू) : (क) दूरसंचार टेलीफोन सलाहकार समितियों (टीएसी) जिनकी सूची विवरण I में दी गई है, का गठन लोक सभा भंग होने के बाद परन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अप्रैल, 1991 को होने वाले चुनावों की घोषणा से पूर्व 28-29 मार्च, 91 को किया

गया था। निर्वाचन आयोग ने टेलीफोन सलाहकार समितियों के संबंध में जारी किए गए आदेशों को निरस्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। निर्वाचन आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों की सरकार द्वारा की गई और पहले से गठित टेलीफोन सलाहकार समितियों को जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

(ख) कामचलाऊ सरकार द्वारा गठित टेलीफोन सलाहकार समितियों की समीक्षा की जा रही है।

(ग) गठित की गयी अनेक टेलीफोन सलाहकार समितियों के मामले में संसद सदस्यों/विधायकों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। यह निर्णय तत्कालीन संचार राज्य मंत्री द्वारा लिया गया था।

(घ) अपेक्षित जानकारी विवरण 2 में दी गई है। इन टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन यथासंभव शीघ्र कर दिया जाएगा।

विवरण-I

भूतपूर्व (कामचलाऊ) सरकार द्वारा गठित टेलीफोन सलाहकार समितियों की सूची

1. बिहार सर्किल
2. पटना जिला
3. गुजरात सर्किल
4. हरियाणा सर्किल
5. अम्बाला जिला
6. फरीदाबाद जिला
7. हिसार जिला
8. करनाल जिला
9. रोहतक जिला
10. कर्नाटक सर्किल
11. बेंगलूर जिला
12. बेलगाम जिला
13. हुबली जिला
14. मंगलूर जिला
15. मैसूर जिला
16. केरल सर्किल
17. अल्पेप्पी जिला
18. कालीकट जिला
19. कन्नोर जिला
20. कोट्टायम जिला
21. पालघाट जिला
22. एर्नाकुलम जिला
23. विक्लोन जिला
24. त्रिचूर जिला
25. त्रिवेन्द्रम जिला
26. मध्य प्रदेश सर्किल
27. भोपाल जिला
28. इन्दौर जिला
29. जबलपुर जिला
30. रायपुर जिला
31. कटक जिला
32. राजस्थान सर्किल
33. जयपुर जिला
34. तमिलनाडु सर्किल
35. मदुरै जिला
36. सलेम जिला
37. उत्तर प्रदेश सर्किल
38. आगरा जिला
39. इलाहाबाद जिला
40. गाजियाबाद जिला
41. कानपुर जिला
42. लखनऊ जिला
43. मेरठ जिला
44. वाराणसी जिला
45. पश्चिम बंगाल सर्किल
46. चंडीगढ़ जिला
47. बंबई महानगरीय जिला
48. कलकत्ता महानगरीय जिला
49. दिल्ली " "
50. मद्रास " "
51. केन्द्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति

विवरण–2

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां नगरवार गठित नहीं की जाती हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए एक दूरसंचार सलाहकार समिति और प्रत्येक बड़े/छोटे दूर संचार जिले के लिए एक टेलीफोन सलाहकार समिति गठित की जाती है।

1. निम्नलिखित दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां ऐसी है जिनका अन्तिम कार्यकाल समाप्त हो गया है और अभी तक इनका पुनर्गठन नहीं किया गया है :–

1. आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश दूरसंचार सलाहकार समिति (दू.स.स.)
2. चितूर टेलीफोन सलाहकार समिति (टे.स.स.)
3. एलुरु टे.स.स.
4. गुंटकल टे.स.स.
5. गुंटूर टे.स.स.
6. हैदराबाद टे.स.स.
7. कुरनूल टे.स.स.
8. राजामुंदरी टे.स.स.
9. विजयवाड़ा टे.स.स.
10. विशाखापट्टनम टे.स.स.

अरुणाचलम प्रदेश

11. अरुणाचल प्रदेश दूरसंचार सलाहकार समिति

3. असम

12. असम दू.स.स.
13. गुवाहाटी टे.स.स.

4. गोवा

14. गोवा द.स.स.
15. पणजी टे.स.स.

5. गुजरात

16. अहमदाबाद टे.स.स.
17. भावनगर टे.स.स.
18. भुज टे.स.स.
19. बुलसार (वलसाड़) टे.स.स.
20. जामनगर टे.स.स.
21. जुनागढ़ टे.स.स.
22. मेहसाना टे.स.स.
23. नदियाड़ टे.स.स.
24. राजकोट टे.स.स.
25. सूरत टे.स.स.
26. बड़ोदरा (बड़ौदा) टे.स.स.

6. हिमाचल प्रदेश

27. हिमाचल प्रदेश द्.स.स.

7. जम्मू व कश्मीर

28. जम्मू व कश्मीर दू.स.स.
29. श्रीनगर टे.स.स.

8. महाराष्ट्र

30. अहमदनगर टे.स.स.
31. जलगांव टे.स.स.
32. कल्याण टे.स.स.
33. कोल्हापुर टे.स.स.
34. महाराष्ट्र टे.स.स.
35. नागपुर टे.स.स.
36. नासिक टे.स.स.
37. पुणे टे.स.स.
38. शोलापुर टे.स.स.

9. मणिपुर

39. इम्फाल टे.स.स.
40. मणिपुर दू.स.स.

10. मेघालय

41. मेघालय दू.स.स.
42. शिलांग टे.स.स.

11. मिजोरम

43. मिजोरम दू.स.स.

12. नागालैंड

44. दीमापुर टे.स.स.
45. नागालैंड दू.स.स.

13. उड़ीसा

46. कटक

14. पंजाब

47. अमृतसर टे.स.स.
48. फिरोजपुर टे.स.स.
49. जालंधर टे.स.स.
50. लुधियाना टे.स.स.
51. पटियाला टे.स.स.
52. पंजाब दू.स.स.

15. सिक्किम

53. सिक्किम दू.स.स.

16. तमिलनाडु

54. कोयम्बटूर टे.स.स.
55. कुड्डालोर टे.स.स.
56. इरोडे टे.स.स.
57. तंजाबूर (टंजोर) टे.स.स.
58. तिरुनेलवेलि टे.स.स.
59. त्रिची (तिरुचिरापल्ली) टे.स.स.
60. वेल्लोर टे.स.स.

17. त्रिपुरा

61. अगरतला टे.स.स.
62. त्रिपुरा दू.स.स.

18. पश्चिम बंगाल

63. आसनसोल टे.स.स.
64. सिलीगुड़ी टे.स.स.

19. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

65. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह दू.स.स.
66. पोर्ट ब्लेयर टे.स.स.

20. दादरा तथा नागर हवेली एवं दमन तथा द्वीप

67. दादरा तथा नागर हवेली एवं दमन तथा द्वीप दू.स.स.

21. लक्षद्वीप तथा मिनिकाय

68. लक्षद्वीप दू.स.स.

22. पांडिचेरी

69. पांडिचेरी दू.स.स.

गांवों के डाकघरों के खोले जाने के लिये शर्तें

288. **डा. अबरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी गांव में डाकघर के खोले जाने के लिये क्या-क्या शर्तें पूरी की जानी चाहिये तथा राजस्थान के ऐसे कितने गांव हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हैं परन्तु वहां डाकघर नहीं हैं और वहां कब तक डाकघर खोल दिये जाने की संभावना है;

(ख) राजस्थान के कितने गांवों में डाकघर हैं और क्या वहां कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां डाकघर खोले गये थे परन्तु उन्हें बाद में बन्द कर दिया गया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राजस्थान में कुछ डाकघर कोरियर सेवाओं से भी प्रभावित हुए हैं, यदि हां, तो क्या सरकार डाकघरों के समानान्तर चल रही इन कोरियर सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?